सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव, आर0ए0एस0
मुकद्मा नम्बर :– 73/2014

1. जगदीश | पिस0 प्यारेलाल, जाति जाट निवासी पीराका तह0 नगर
2. देवीसिंह

– वादीगण

बनाम

1. समन्दर | पिस0 किशोरी
2. दाताराम
3. उमेश | पिस0 भगवन
4. राहुल
5. गंगा पत्नि भगवत
   जातियान जाट निवासियान ग्राम पीराका तह0 नगर
6. सीमा पुत्री भगवत पत्नी जयवीर निवासी तिल्हूवहतर पो0 विसावर तहसील सादाबाद हाथरस (यू0पी0)
7. राजकुमारी पुत्री भगवत पत्नी सन्नी निवासी सेवला, सेमरी रोड नारायण पेस–2 आगरा (यू0पी0)
8. कुमरसेन
9. गिल्ला सिंह | पिस0 रामकिशन जाति जाट निवासी पीराका
10. नहने सिंह
11. महीपाल
12. बीना पुत्री रामकिशन पत्नी पूरन नि0 तिल्हूवहतर पो0 विसावर तह0 सादावाद जिला हाथरस (यू0पी0)
13. किस्तूरी पत्नी डोरी
14. प्रीति
15. प्रिया | पुत्रियान गोविन्द सिंह | नाबालिगान वलि सरपरस्त माता बीना पत्नी गोविन्द सिंह
16. वर्षा
17. पूनम
18. प्रवीन पुत्र गोविन्द
19. बीना पत्नी गोविन्दसिंह
    जातियान जाट निवासीयान ग्राम पीराका तह0 नगर
20. तहसीलदार नगर
21. शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जालूकी तह0 नगर

–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88–89, 188 आर0टी0ए0

उपस्थित –

1. श्री गजेन्द्रसिंह, अभिभाषक वादी
2. श्री श्यामबाबू सेठी, अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक 09/11/17

वादीगण ने यह दावा इस आशय का संस्थित किया है कि विवादित आराजी ख0नं0 329/0.21 बाके ग्राम पीराका तह0 नगर किशोरी व रामकिशन पिस0 ग्यासी मुस0 कस्तूरी डोरीसिंह व गोविन्दसिंह पुत्र डोरी नावालिग बलीसरपरस्त मुस0 कस्तूरी की खातेदारी की आराजी थी जिसको जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 05.06.1995 को वादीगण को बेचान कर कब्जा दे दिया था । प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी पर बैंक से लोन लेने के कारण दाखिल खारिज दर्ज नही हो सका । किशोरी फौत हो गया जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 7 हैं और रामकिशन फौत हो गया जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 8 लगा0 12 हैं । गोविन्दसिंह फौत हो गया जिसके वारिसान 14 लगा0 19 हैं । वादीगण वयनामा से आज तक शांति पूर्वक काबिज रहकर विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं । विवादित आराजी का बेचान होने के बाद प्रतिवादी संख्या 19 द्वारा आराजी के 1/6 हिस्से पर राजस्थान ग्रामीण बैंक जालूकी से लोन ले रखा है जो बिलकुल गलत है । प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ती आ गयी है तथा दिनांक 21.08.2014 को एलानियां धमकी दी है कि वे वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर देंगें तथा आराजी का बेचान कर देंगे । यदि वह अपने इरादे में सफल हो गये तो वादीगण की असीम क्षति होगी । विदि वजह वादी अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने का अधिकारी है । अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को आराजी ख0नं0 329/0.21 बाके ग्राम पीराका तह0 नगर पर बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल न करें एवं रहन वय मुन्तकिल न करें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 9 के द्वारा दिनांक 05.11.2014 प्रतिवादी संख्या 2 व 8 के द्वारा दिनांक 28.11.14 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो प्रमाणित किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया । प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5 के विरूद्ध दिनांक 01.10.2014 को प्रतिवादी संख्या 20 व 21 के विरूद्ध दिनांक 22.09.2015 को तथा प्रतिवादी संख्या 6, 7, 10 लगा0 12 एवं 14 लगा0 18 के विरूद्ध दिनांक 28.09.2016 को बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही की गयी । प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 06.03.2012 को जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाद पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार वयान की गयी है । स्वीकार

नही है । प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा आराजी ख0नं0 329/0.21 के अपने हिस्से की खातेदारी का कोई वयनामा वादीगण को नही कराया और न ही मौके पर कब्जा दिया । प्रतिवादी संख्या 1 का पिता के हिस्से की आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार कब्जा है । वादीगण का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है । वादीगण को कोई बिनाय मुखासमत पैदा नही होती है । वादीगण का दावा कानूनी बिन्दुओं से दोषपूर्ण होने से काबिल खारिज है । अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर दिनांक 09.06.2017 को निम्न तनकीयात कायम की गयी ।

1. आया वादीगण विवादित आराजी ख0नं0 329/0.21 बाके ग्राम पीराका तह0 नगर पर अपने आपको मुताबिक वयनामा खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं ? जिम्मे वादीगण
2. आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? जिम्मे वादीगण
3. आया प्रतिवादी संख्या 1 के पिता ने विवादित आराजी पर वादीगण को कोई वयनामा नही कराया न ही उनका मौके पर कब्जा काश्त है जिससे दावा काबिले खारिज है ? जिम्मे प्रतिवादीगण
4. आया वादीगण को कोई विनायमुखासमत पैदा नही होती है जिससे दावा काबिल खारिज है? जिम्मे प्रतिवादीगण
5. दादरसी ? जिम्मे प्रतिवादीगण

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 प्रदर्श पी–1 एवं वयनामा प्रदर्श पी–2 दस्तावेजात प्रस्तुत किये एवं मौखिक साक्ष्य में वादी जगदीश पीडब्ल्यू–1 एवं गवाह विजयसिंह पीडब्ल्यू–2 के वयान कराये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 09.11.2017 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर वादीगण के पक्ष में दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है ।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की वहस सुनी एवं पत्रावली का अद्योपान्त ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 प्रदर्श पी0–1 के खाता संख्या 117 में विवादित आराजी ख0नं0 329/0.21 की बावत् ''समन्दर, दाताराम पिस0 किशोरी 2/9 हिस्सा, उमेश, राहुल पिस0 भगवत, सीमा, राजकुमारी पुत्रियान भगवत 2/45 हिस्सा, गंगा

पत्नि भगवत 1/15 हिस्सा, रामकिशन पुत्र ग्यासी 1/3 हिस्सा, किस्तूरी बेवा डोरी 1/6 हिस्सा, दीना पत्नि गोविन्दसिंह, प्रीति, प्रिया, वर्षा, पूनम पुत्रियान गोविन्दसिंह, प्रवीण पुत्र गोविन्दसिंह 1/6 हिस्सा कौम जाट साकिन देह खातेदार दीना बगै0 1/6 हिस्सा रहिन आरजीबी शाखा जालूकी मुर्त0'' दर्ज होना पाया जाता है । वयनामा दिनांक 05.06.1995 के अवलोकन से आराजी ख0नं0 329/0.21 बाके ग्राम पीराका का किशोरी व रामकिशन पिस0 ग्यासी मुस0 किस्तूरी बेबा डोरी स्वयं एवं वहैसियत वलीसरपरस्त गोविन्दसिंह पुत्र डोरी नावालिग की माता खुद कौम जाट निवासी पीराका तह0 नगर द्वारा वादीगण जगदीश, देवीसिंह पिस0 प्यारेलाल कौम जाट निवासी पीराका वहिस्सा बराबर को बेचान किया जाना एवं मौके पर कब्जा दिया जाना साबित होता है । सभी प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर उनके पूर्वजों द्वारा वयनामा कराया जाना स्वीकार करते हुए मुताबिक वयनामा दावा डिक्री किये जाने का अनुरोध किया है । इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन से विवादित आराजी वादीगण की क्रयशुदा आराजी है तथा वयनामा दिनांक 09.06.1995 से आदिनांक वादीगण का कब्जा काश्त होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया है जिससे दावावादीगण डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण मुताबिक रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 09.06.1995 एवं राजीनामा डिक्री किया जाता है। आराजी ख0नं0 329/0.21 बाके ग्राम पीराका तह0 नगर पर वादीगण को वहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
(सहायक कलक्टर)
नगर (भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 09/11/2017 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
(सहायक कलक्टर)
नगर (भरतपुर)